

कार्यालय-अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।

E-mail : nodalofficerddn@gmail.com

Phone/ Fax: 0135-2767611

संख्या:-

/ FP/UK/ROAD/36547/2018 देहरादून दिनांक: 6 जुलाई, 2021

सेवा में,

सचिव प्रभारी,
वन अनुभाग-3,
उत्तराखण्ड शासन।

विषय:- जनपद-चमोली में नारायणबगड़-चोपता मोटर मार्ग से पैठाणी तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.583 हे० वनभूमि का गैरवानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण।

(Online Proposal No- FP/UK/ROAD/36547/2018)

महोदय,

उपरोक्त विषयक परियोजना हेतु अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०, थराली, (चमोली) द्वारा वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत 1.583 हे० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु वन भूमि हस्तान्तरण का प्रस्ताव प्रेषित किया गया है। प्रस्ताव पर राजस्व विभाग/प्रभागीय वनाधिकारी, बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर एवं वन संरक्षक, गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड, पौड़ी द्वारा भी सहमति प्रदान की गयी है। उक्त परियोजना के ऑनलाईन भरे गये पार्ट-II में अंकित की गई सूचना के अनुसार वन भूमि में 40 वृक्षों का पातन निहित है।

प्रस्ताव पर प्रमुख वन संरक्षक (HoFF), महोदय से पत्रावली पर सहमति प्राप्त करने के उपरान्त, ऑनलाईन प्रपत्र भाग-I से भाग-III एवं अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी द्वारा भरे जाने वाले प्रपत्र भाग-IV पर संस्तुति कर संलग्न कर इस आशय से प्रेषित किये जा रहे हैं कि कृपया प्रस्ताव पर सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त करने हेतु भारत सरकार को प्रेषित करने का कष्ट करें।

संलग्न-यथोपरि।

भवदीय,

(डॉ० कपिल जोशी)

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं
नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

संख्या 55 / FP/UK/OTHERS/120706/2021 तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रमुख वन संरक्षक (HoFF), उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. मुख्य वन संरक्षक/गढ़वाल, पौड़ी को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि कृपया प्रस्ताव की एक फोटो प्रति अपने नियंत्राधीन प्रभागीय वनाधिकारी से प्राप्त कर, समय-समय पर प्रकरण की समीक्षा करते रहा जायें।
3. अपर प्रमुख वन संरक्षक भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय, (उत्तर-मध्य क्षेत्र), 25 सुभाष रोड, देहरादून को प्रस्ताव की मूल प्रति एवं पार्ट I से IV तक संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।
4. वन संरक्षक, गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड, पौड़ी।
5. जिलाधिकारी, जनपद-चमोली।
6. प्रभागीय वनाधिकारी, बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर।
7. जिला पर्यटन विकास अधिकारी, गोपेश्वर, चमोली।

(डॉ० कपिल जोशी)
अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं
नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

भाग-IV

(नोडल अधिकारी अथवा प्रधान मुख्य वन संरक्षक अथवा अध्यक्ष,
वन विभाग द्वारा भरे जाने के लिए)

- 17- टिप्पणी के साथ प्रस्ताव को स्वीकार करने
या अन्यथा के लिए राज्य वन विभाग की
विरतुत राय और निर्दिष्ट सिफारिशें।
(राय देते समय, सम्बन्धित वन संरक्षक
अथवा उप वन संरक्षक की प्रतिकूल
टिप्पणी की सुस्पष्ट समीक्षा की जाय
और विवेचनात्मक टिप्पणी दी जाय)

प्रमुख वन संरक्षक (Hoff) उत्तराखण्ड की

सहभागी के साथ प्रस्ताव पर संस्तुति प्रदान की जाती है।

तिथि : 03-07-2021

स्थान देहरादून,

हस्ताक्षर:

नाम और पदनाम

सरकारी मोहर

अपर प्रमुख वन संरक्षक
एवं नोडल अधिकारी
उत्तराखण्ड, देहरादून।